न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 54 / 2019
जी.सी.एस.एम. नं. 2019 / 00117
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 22.04.2021

1. पुष्पेन्द्र पुत्र चरनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम बरौलीरान तहसील नदबई जिला भरतपुर राज0

– प्रार्थी

बनाम

1 चरनसिंह पुत्र यादराम जाति जाट निवासी ग्राम बरौलीरान तहसील नदबई भरतपुर (राज0)
2 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार नदबई
3 श्रीमान सब रजिस्टार महोदय नदबई

–अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री रघुवीरशरण गुप्ता (प्रार्थी की और)

श्री लक्ष्मणसिंह (अप्रार्थीगण की और से)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

अन्तर्गत धारा **212 आर.टी.ए.**

1. यह कि उपरोक्त उनवानी शीर्षक दावा न्यायालय श्रीमान में पेश कर दिया गया है जिसमें सफलता की पूर्ण उम्मीद है।
2. यह कि विवादित आराजी 1225 रकवा 0.36, 1247 रकवा 0.24, 1358 रकवा 0.47, 1359 रकवा 0.38,1360 रकवा 0.01, 1361 रकवा 0.25 , 1362 रकवा 0.36, 1363 रकवा 0.15, 1366 रकवा 0.58 , 1367 रकवा 0.44 , 1368 रकवा 0.36, 1369 रकवा 0.48 ,1370 रकवा 0.63 , 225 रकवा 0.99 228 रकवा 0.39 , 302 रकवा 0.43 , 310 रकवा 0.49 , 227 रकवा 1.00 किता 18 कुल रकवा 8.01 हैक्टे. वाके ग्राम बरौलीरान तहसील नदबई में स्थित है। इस संदर्भ में नकल जमाबंदी सं. 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
3. यह कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एवं त. प्रतिवादी सं. 5 ल0 9 तथा अप्रार्थी सं. 1 की हिन्दू संयुक्त परिवार की अविवाहित पैत्रिक [illegible] है। यानि प्रार्थी एवं त. प्रतिवादीगण सं. 5 ल. 9 के बाबा तथा [illegible] पिता यादराम की खातेदारी की आराजी है। तथा उनकी मृत्यु के बाद हिन्दू संयुक्त [illegible] कर्ता खानदान अप्रार्थी सं. 1 होने के कारण 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी सं. 438 दिनांक 0.6.06.2011 से अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

को 1/2 हिस्से पर तथा प्रतिवादी सं. 4 को 1/2 हिस्से पर खातेदारी अंकित हो रही है। इस संदर्भ में नकल जमाबंदी सं. 2065 ल. 2068 पेश है।

4. यह कि उक्त विवेचन से उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एवं त. प्रविादीगण सं. 5 ल. 9 की पैत्रिक एवं हिन्दू संयुक्त परिवार की अविवाहित आराजी होने के कारण प्रार्थी एवं प्रतिवादी सं. 5 ल. 9 अप्रार्थी सं. 1 के साथ वा हिस्सा बराबर सहदायिका है। जिसमें प्रार्थी एवं त. प्रतिवादीगण सं. 5 ल. 9 का अप्रार्थी सं. 1 के साथ वा हिस्सा बराबर हक होता है। इसी अनुरूप प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व त. प्रतिवादी सं. 5 ल. 9 अप्रार्थी सं. 1 के साथ व हिस्सा बराबर काबिज चले आ रहे है। इस प्रकार से प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन कराकर प्रार्थी व त. प्रतिवादी सं. 5 ल. 9 अप्रार्थी सं.1 के साथ वा हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज करापाने के अधिकारी है। यानि प्रार्थी एवं त0 प्रतिवादी सं. 5 ल. 9 व अप्रार्थी सं. 1 प्रत्येक 1/14 हिस्से पर खातेदारी काश्तकारी दर्ज करापाने के अधिकारी है।

5. यह कि अप्रार्थी सं. 1 का नाम विवादित आराजी पर अंकन होने के कारण इसका फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 1 त0 प्रतिवादी 5 ल. 6 गजेन्द्र , भूपेन्द्र, पि. चरनसिंह के हक में समस्त आराजी का विक्रय करने के लिए प्रयत्नशील है। इस आशय की धमकी अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 16.05.2019 को ग्राम बरौलीरान में दी है। जबकि अप्रार्थी सं. 1 को उक्त आराजी को उक्त तरीखे से विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नही है। यदि अप्रार्थी सं. 1 उक्त तरीखे से विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नही है। यदि अप्रार्थी सं. 1 उक्त तरीके से विक्रय कर देते है। तो मुझ प्रार्थी एव अन्यत प्रतिवादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नही हो सकेगी अतः प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

6. यह कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है। कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता. फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी में मदाखलत मजाहमत न करे रहन वय मुन्तकिल न करे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 श्री लक्ष्मणसिंह एण्डवोकेट उपस्थित हुऐ। शेष अप्राथी स. 2 व 3 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थगण स. 1 और जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:17 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 के मुताबिक उक्त ... का दावा अदालत श्रीमानजी पेश किये जाने के अतिरिक्त अन्य कथन गलत होने के कारण अस्वीकार है।

सहायक कलेक्टर नदबई जिला भरतपुर

2. यह कि वाद पत्र चरण सं. 2 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बरान 1225 रकवा 0.36, 1247 रकवा 0.24, 1358 रकवा 0.47, 1359 रकवा 0.38,1360 रकवा 0.01, 1361 रकवा 0. 25 , 1362 रकवा 0.36, 1363 रकवा 0.15, 1366 रकवा 0.58 , 1367 रकवा 0.44 , 1368 रकवा 0.36, 1369 रकवा 0.48 ,1370 रकवा 0.63 , 225 रकवा 0.99 228 रकवा 0.39 , 302 रकवा 0.43 , 310 रकवा 0.49 , 227 रकवा 1.00 किता 18 कुल रकवा 8.01 हैक्टे. वाके ग्राम बरौलीरान तहसील नदबई में स्थित होना स्वीकार है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र चरणसं. 2 आंशिक रूप से गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 सयुक्त हिन्दू परिवार नही है। अप्रार्थी सं. 1 वृद्ध व्यक्ति है तथा अक्सर गम्भीर बीमारियो से पीढित रहता है। प्रार्थी 20 साल से अप्रार्थी सं. 1 अलग रहता चला आ रहा है। तथा वह अप्रार्थी सं. 1 जो कि एक वृद्ध व अनेको बीमारियो से ग्रसित व्यक्ति है कि वादी प्रार्थी न तो कोई सेवा करता है। और न ही हारी बीमारी से कोई खर्च ही करता है। विवादित आराजी सयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित आराजी भी नही है। प्रार्थी का विवादित आराजी से किसी भी हिस्से का कोई कब्जा काश्त भी नही है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में दर्ज आराजी किता 18 रकवा 8.01 हैक्टे. वाके ग्राम बरौलीरान तह0 नदबई के 1/2 हिस्से का अप्रार्थी सं. 1 खातेकार व काबिज काश्तकार है। उक्त आराजी में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बोई फसल लाहा व गेहूँ सरसो खडी हुई है विवादित आराजी में प्रार्थी को न तो कब्जा काश्त है। न ही कोई हिस्सा है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र 4 गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 का कोई सयुक्त हिन्दू परिवार नही है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से करीब 20 साल पूर्व न्यारा हो गया था। इस तरह विवादित आराजी सयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित आराजी न होकर अप्रार्थी सं. 1 की न्यायानूर बाहिद खातेदारी काश्तकारी व कब्जे की आराजी है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही हैं प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के नाम चली आ रही खातेदारी काश्तकारी की विवादित आराजी से अप्रार्थी सं. 1 के नाम को कलमजन करा पाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त न होने की वजह से विवादित आराजी के 1/14 हिस्से पर अपने आप को खातेदारी काश्तकार दर्ज करा पाने का अधिकारी नही है। वाद वादी धारा 53 की आर.टी.ए. का न होने से काबिल खारिजी के है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र चरण सं. 5 गलत होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 वृद्ध व्यक्ति है तथा अक्सर बीमार रहता हैं अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम खातेदारी काश्तकारी की विवादित आराजी पर कृषि क्रेडिट कार्ड बनवा कर बैंक से अपनी बीमारी का इलाज कराने हेतु व कृषि विकास हेतु लॉन लेना चहाता था इस कारण प्रार्थी ने अदालत श्रीमान में झूठे तथ्यो के साथ दावा व प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 दायर कर अदालत श्रीमान से विवादित आराजी की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व एकतरफा में टी.आई. आदेश विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 गलत तथ्यो के साथ प्राप्त कर ली है। दिनांक 16.05.2019 या अन्य किसी तिथि को अप्रार्थी सं. ने प्रार्थी को किसी भी मुकाम पर किसी तरह की कोई धमकी नही दी। त0 प्रतिवादी सं. 5 व 6 को विवादित आराजी को विक्रय कर देने का तथ्य प्रार्थी अपने दावा व प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 को रंगत देने की वजह से झूठा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:17 IST
Reason: SelfAttested

गलत अंकित कराया है।प्रार्थी अदालत श्रीमान के समक्ष क्लिन हैन्ड़ से नही आया है। प्रार्थी ने जानबूझकर मैलाफाइड तरीके से अपने द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में अपना अप्रार्थी सं. 1 एवं त0 प्रतिवादीगण का वंशावली सजरा भी अंकित भी नही किया हैं दिनांक 16.05.2019 को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किसी भी मुकाम पर कोई धमकी न दिये जाने से प्रार्थी को कोई अजीम क्षति पैदा नही होती हैं इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 1 विवादित आराजी पर काबिज खातेदार काश्तकार हैं अगर उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो अप्रार्थी सं. 1 को अजीम क्षति होगी तथा अप्रार्थी सं. 1 अपनी बीमारियो का ईलाज कराये बिना मर जावेगा अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी नही है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र चरण सं. 6 गलत होने के कारण अस्वीकार हैं प्रार्थी का न तो कोई प्राइमाफेसी केस है और नही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में साबित होता हैं इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 1 विवादित आराजी किता 18 कुल रकवा 8.01 हैक्टे0 1/2 हिस्से वाके ग्राम बरौलीरान तह0 नदबई का वाहिद खातेदार काश्तकार है
7. यह कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. काबिल खारिजी के है।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2073 से 2076 वाके ग्राम बरौलीरान , नकल जमाबंदी सम्बत 206 लगायत 2068 वाके ग्राम बरौलीरान वाके तहसील नदबई पेश कि गई।

गैरसायल/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थना में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाके ग्राम बरौलीरान पेश कि गई।

उभय पक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि :—

1. प्राईमाफेसी केस— प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. के तहत् पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 212 [illegible] का पेश किया गया है । विवादित आाजी 1225 रकवा 0.36, 1247 रकवा 0.2[illegible] 135[illegible] रकवा 0.47, 1359 रकवा 0. 38,1360 रकवा 0.01, 1361 रकवा 0.25 1362 रकवा 0.36, 1363 रकवा 0.15, 1366 रकवा 0.58 , 1367 रकवा 0.44 , 1368 रकवा 0.36, 13[illegible] रकवा 0.48 ,1370 रकवा 0.63 , 225 रकवा 0.99 228 रकवा 0.39 , 302 रकवा 0.43 , 310 रकवा 0.49 , 227 रकवा 1. 00 किता 18 कुल रकवा 8.01 हैक्टे. वाके ग्राम बरौलीरान तहसील नदबई में स्थित है। जिस पर अप्रार्थी सं. 1 1/2 हिस्से पर तथा 1/2 हिस्से पर उसके भाई प्रति वादी सं. 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:17 IST
Reason: SelfAttested

सहाबसिंह पुत्र यादराम की खातेदारी अंकित हो रही है। जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2073 ल0 76 से साबित है। उक्त आराजी प्रार्थी एवं त0 प्रतिवादीगण सं. 5 ल0 9 बाबा एवं अप्रार्थी सं. 1 एवं प्रतिवादीगण सं. 4 के पिता यादराम के पिता की खातेदारी आराजी है। तथा उसकी मृत्यु के बाद नामातंरण सं. 438 दिनांक 06.05.2011 से अप्रार्थी सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम वा हिस्सा बराबर खातेदारी अंकित हो गई। इस संदर्भ में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सम्वत 2065 ल0 2068 पेश की गई इसमें यादराम की विवादित आराजी पर खातेदारी अंकित हो रही है। तथा नामातंकरण सं. 438 से विरासतन से यादराम के स्थान पर चरणसिंह व सहाबसिंह की खातेदारी अंकित हो रही हैं चरण सं. अप्रार्थी सं. 1 तथा सहाबसिंह प्रतिवादी सं. 4 हैं इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विवादित आराजी प्रार्थी के पूर्वजो की यानि की प्रार्थी के बाबा यादराम की खातेदारी की आराजी है। जिसका अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जबाब प्रा. पत्र में प्रार्थी को यादराम का पुत्र होना अस्वीकार नही किया हैं और न ही विवादित आराजी को पूर्वजो की न होना स्वीकार किया है। उन्होने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से दो बिन्दू उठाये है प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 से 20 साल से पूर्व अलग हो गया था। दूसरा अप्रार्थी सं. 1 काफी वृद्ध है व उसकी सेवा नही करता हैं और न ही बीमारी हारी में खर्चा देता हैं जबकि प्रार्थी की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व होना बताया है। इसलिए 20 वर्ष से अलग होने का कोई प्रश्न पैदा नही होता हैं क्योकि अप्रार्थी सं. 1 ने ही कराई थी इसके अलावा अप्रार्थी सं. 1 वृद्ध नही है। जबकि उसकी उम्र करीब 58–60 वर्ष है। तथा अभी त0 प्रतिवादी सं. 5 व 6 के साथ रहकर कृषि कार्य करने में मदद करते है। तथा उसके साथ ही रहते हैं उसके अलावा मौके पर अप्रार्थी सं. 1 उनके हिस्से का खेत अलग से देना भी बताया है। जिसकी पैदा से अपना इलाज व अपना खर्चा स्वंय उठाते है। भी बताया गया हैं इसके अलावा अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रा0 पत्र मनगढंत व झूठे तरीखे से तय किया हुआ भी बताया गया है। इन असत्य तथ्यो से आराजीयो से पैत्रिक आराजी में प्रार्थी के हक समाप्त नही होते है। इस प्रकार दस्तावेजी रिकार्ड एवं अप्रार्थी जबाब प्रा. पत्र से विवादित आराजी पर प्रार्थी का जन्म से अप्रार्थी सं. 1 के साथ वा हिस्सा बराबर हक होता है। इस सम्बंध में नजीर आर.आर.डी. 1981 पेज 512 (1) , आर.आर.डी. 2005 पेज 349 , ए.आई.आर. 1977 राज0 पेज 196 पेश की गई जिनसे साबित है। कि प्रार्थी का उक्त विवादित पैत्रिक आराजीयात में जन्म से हक होता है। इस प्रकार प्राइमाफेसी केस प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। अतः जब तक विवादित आराजीयात वाद की बहुल्यता को रोकने के लिए एवं दावा की विषय वस्तु के पैत्रिक हक सुरक्षित रखने के लिए रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:17 IST
Reason: SelfAttested

2. सुविधा का संतुलन :– प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है।

सहायक कलक्टर
कामां जिला भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. अपूर्ण क्षति :– चूंकि प्राथीगर्ण द्वारा घोषणात्मक दावा पेश किया है। जिसमें अपना हक चाहा है। अगर उक्त विवादित आराजीयात का फिर से बेचान तथा आराजी खुर्द –बुर्द होती है तो दावे के निस्तारण में अनावश्यक पेचीदगी होगी, तथा बेजा मुकदमे बाजी बढेगी, तो अपूर्ण क्षति भी प्रार्थी को होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0न0 1225 रकवा 0.36, 1247 रकवा 0.24, 1358 रकवा 0.47, 1359 रकवा 0.38,1360 रकवा 0.01, 1361 रकवा 0.25 , 1362 रकवा 0.36, 1363 रकवा 0.15, 1366 रकवा 0.58 , 1367 रकवा 0.44 , 1368 रकवा 0.36, 1369 रकवा 0.48 ,1370 रकवा 0.63 , 225 रकवा 0.99 228 रकवा 0.39 , 302 रकवा 0.43 , 310 रकवा 0.49 , 227 रकवा 1.00 किता 18 कुल रकवा 8.01 हैक्टे. वाके ग्राम बरौलीरान तहसील नदबई में स्थित है।, पर जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 17.05.2019 को इस आशय के साथ कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात की दावे के निस्तारण तक रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखें एवं बयनामा ना करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर 22/04/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:34:17 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official